

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या-4/आ0-03-1001/2019- 149 राँची, दिनांक- 4/9/19
उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 392 दिनांक 31.03.2017 के समीक्षोपरान्त श्री विनोदानन्द द्विवेदी, तत्कालीन कनीय अभियंता, प्रशाखा-बेंगावाद, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-1, गिरिडीह एवं अन्य के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-1 गिरिडीह अन्तर्गत आपदा प्रबंधन मद से दिनांक 29.01.2018 को निर्गत कार्यादेश के तहत कराये गये कार्यों एवं भुगतान में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि के गबन में सहयोग करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया।

2. उक्त आरोपो के विरुद्ध विभाग द्वारा श्री द्विवेदी एवं अन्य से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी परन्तु श्री द्विवेदी द्वारा विहित अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात् पूरे मामले की सम्यक् समीक्षा विभाग द्वारा की गयी जिसके उपरांत श्री द्विवेदी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मद से दिनांक 29.01.2018 को निर्गत कार्यादेश के तहत कराये गये कार्यों एवं भुगतान में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि के गबन में सहयोग करते हुए सरकारी सेवक आचार नियमावली, PWD code एवं वित्त नियमावली का उल्लंघन करने तथा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित न कर विभागीय निदेश की अवहेलना करने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया।

3. उक्त वर्णित सम्पूर्ण मामले पर विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपो हेतु विभागीय आदेश संख्या-298 सपटित ज्ञापांक-4520 दिनांक-01.11.18 द्वारा श्री द्विवेदी को निलंबित किया गया एवं उनके विरुद्ध प्रपत्र-क गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन संबंधी आदेश अलग से निर्गत करने का आदेश दिया गया है।

4. उक्त आदेश के आलोक में श्री द्विवेदी के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या 26 सपटित ज्ञापांक 396 दिनांक 24.01.2019 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध गठित दोनों ही आरोप अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री द्विवेदी के विरुद्ध उक्त अप्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु उन्हें **आरोप मुक्त** करते हुए निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

- i- श्री द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
- ii- श्री द्विवेदी के द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि मानी जायेगी।
- iii- इनके विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या 26 सपटित ज्ञापांक 396 दिनांक 29.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

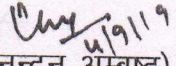
सरकार के संयुक्त सचिव।

04/09/19

ज्ञापांक-4/आ0-03-1001/2019- 3154

राँची,दिनांक- 4/9/19

प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/अवर सचिव (प्रशाखा-03 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

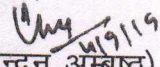

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-03-1001/2019- 3154

राँची,दिनांक- 4/9/19

प्रतिलिपि-श्री विनोदानन्द द्विवेदी, कनीय अभियन्ता(निलंबित), अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

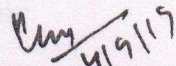

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

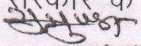
ज्ञापांक-4/आ0-03-1001/2019- 3154

राँची,दिनांक- 4/9/19

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU)पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।


04/09/19